भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1288
11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

छत्तीसगढ़ में पीएमएमएसवाई

1288. श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) छत्तीसगढ़ की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत की गई पहलों को किस प्रकार अपनाया गया है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 में 5 वर्षों की अवधि यानी 2020-21 से 2024-25 के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम निवेश के साथ छत्तीसगढ़ सरकार सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक एक प्रमुख योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएमएमएसवाई में अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान में कमी, ट्रेसेबिलिटी इत्यादि में चिंताजनक कमियों (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करने की परिकल्पना की गई है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत 4 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 304.04 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ कुल 923.38 करोड़ रुपए की लागत पर छत्तीसगढ़ राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ राज्य में पीएमएमएसवाई के तहत सहायता प्राप्त प्रमुख परियोजनाओं और गतिविधियों में जलाशयों में केज कल्चर इकाइयों की स्थापना, नए मीठे पानी के फिनफिश हैचरी की स्थापना, रियरिंग तालाबों का निर्माण, इनपुट के साथ ग्रो-आउट तालाब, बायोफ्लोक तालाब, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), ओर्नामेंटल फिश रियरिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज / आइस प्लांट, फीड मिल्स आदि शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य मात्स्यिकी विभाग मछुआरों, मत्स्यपालकों, मत्स्य सहकारी समितियों और अन्य हितधारकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जिलावार मात्स्यिकी विकास योजनाएँ तैयार करता है। जिला योजनाओं के आधार पर, मात्स्यिकी और जलकृषि विकास के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है और उसे मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है । स्वीकृत परियोजनाओं और गतिविधियों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है।

*****